3. राजभाषा हिंदी और अनुवाद

4. राजभाषा हिंदी और पूर्वोत्तर भारत

5. त्रिभाषा सूत्र और कार्यालयी भाषा

नोट: उपर्युक्त विषयों के अतिरिक्त राजभाषा, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 और भारतीय भाषाओं से जुड़े अन्य विषयों पर भी आलेख स्वीकृत किए जाएंगे। ईमेल द्वारा संगोष्ठी-प्रपत्र का सारांश दिनांक 20 फरवरी, 2024 तक और पूर्ण आलेख दिनांक 25 फरवरी, 2024 तक स्वीकार किए जाएंगे। कृपया अपने आलेख jhakalicharan44@gmail.com और mauryahcu@gmail.com पर प्रेषित करें। संगोष्ठी से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए मो. नं. 7005299729, 8887607106 पर संपर्क करें। चयनित प्रपत्र की सूचना प्रतिभागियों को 26 फरवरी, 2024 तक दे दी जाएगी।

स्वागत उपसमिति

प्रो. विनोद कुमार मिश्र, प्रो. मिलन रानी जमातिया, डॉ. काली चरण झा, डॉ. बीना देबबर्मा, डॉ. ऐश्वर्या झा, डॉ. मनोज कुमार मौर्य, डॉ. आलोक कुमार पाण्डेय, डॉ. प्रमोद कुमार राजभर

आवास, यातायात एवं भोजन उपसमिति

संयोजक : डॉ. आलोक कुमार पाण्डेय

सदस्य : सुश्री कीर्ति उपाध्याय, श्री रजनीश कुमार, श्री कैलाश पधान, सुश्री एलिना देबबर्मा

तकनीकी उपसमिति

संयोजक : बीना देबबर्मा

सदस्य : श्री आशीष वर्मा, सुश्री सुषमा ताती, श्री जितेंद्र रियांग, सुश्री शिवांगी सील

रिपोर्टिंग उपसमिति

संयोजक : डॉ. ऐश्वर्या झा

सदस्य : डॉ. प्रमोद कुमार राजभर, श्री शिव कुमार, श्रीमती रिंकी कुमारी, सुश्री दीपा झरना देबबर्मा

वित्त उपसमिति

संयोजक : डॉ. मनोज कुमार मौर्य

सदस्य : श्री खाकचांग जमातिया, सुश्री गुनगुन सैकिया, सुश्री पौशाली मजूमदार, श्री मृत्युंजय देबनाथ

हिंदी विभाग

त्रिपुरा विश्वविद्यालय, सूर्यमणिनगर

द्वारा आयोजित

एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी

राजभाषा हिंदी कार्यान्वयन

(संदर्भ पूर्वोत्तर भारत)

दिनांक: 28 फरवरी, 2024

समय: 09.30 बजे, पूर्वाह्न

आयोजन स्थल: संगोष्ठी कक्ष-02, अकादमिक भवन-11, त्रिपुरा विश्वविद्यालय

आयोजन समिति

संरक्षक

प्रो. गंगा प्रसाद प्रसाईं

माननीय कुलपति

त्रिपुरा विश्वविद्यालय

सह-संरक्षक

डॉ. दीपक कुमार शर्मा

कुलसचिव

त्रिपुरा विश्वविद्यालय

संगोष्ठी अध्यक्ष

प्रो. विनोद कुमार मिश्र

अध्यक्ष, हिंदी विभाग

संयोजक

डॉ. काली चरण झा

सह-प्राध्यापक, हिंदी विभाग

सह-संयोजक

डॉ. मनोज कुमार मौर्य

सहायक प्राध्यापक, हिंदी विभाग

आमुख:

सन् 1976 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर केंद्र के रूप में एक छोटी–सी शुरुआत से सन् 1987 में एक राज्य विश्वविद्यालय और अंतत: सन् 2007 में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में त्रिपुरा विश्वविद्यालय ने छोटे भू–आबद्ध राज्य त्रिपुरा में एक उच्च शिक्षा संस्थान की उत्कृष्टता की खोज में एक लंबी यात्रा तय की है। विश्वविद्यालय अकादमिक और अनुसंधान गतिविधियों के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और तकनीकी नवाचार प्रदान करने हेतु कृत संकल्पित है। प्रदूषण मुक्त, रमणीय और सुरम्य परिवेश युवा और सशक्त मस्तिष्क के पोषण के लिए शैक्षणिक वातावरण प्रदान करता है। एक पारंपरिक विश्वविद्यालय के रूप में त्रिपुरा विश्वविद्यालय ने राज्य के देशी कला प्रारूपों, लोक, मौखिक और बहुआयामी सांस्कृतिक परंपराओं की जीवंत विरासत को संरक्षित और पल्लवित करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। वर्तमान में दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के अधीन चार विभागों सहित विश्वविद्यालय में दो संकाय, चौवालीस विभाग और चार अध्ययन केंद्र मौजूद हैं। दूरस्थ शिक्षा निदेशालय इस राज्य के दूर–दराज के पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को शैक्षिक सहायता प्रदान करता है। विश्वविद्यालय की भविष्य की योजनाओं में परिसर का विस्तार और सभी विभागों में आईसीटी सक्षम कक्षाओं की तत्काल स्थापना शामिल है। इसके साथ ही शोधार्थियों, स्नातक एवं परास्नातक विद्यार्थियों के लिए अधिकतम छात्रावास, बेहतर कैंटीन, अतिथि–गृह, शैक्षिक एवं गैर–शैक्षिक कर्मचारियों के लिए आवास उपलब्ध कराना है। रोजगारपरक पाठ्यक्रम के विस्तार के लिए आधुनिक तकनीकी उपकरणों और पारस्परिक संवादात्मक शिक्षण–अधिगम के लिए मल्टीमीडिया मोड की सुविधा उपलब्ध कराना भी शामिल है। बदलते समय की मांग के अनुरूप विश्वविद्यालय प्रशासन धीरे–धीरे कुशल, सटीक और पर्यावरण के अनुकूल ई–गवर्नेंस में बदल रहा है।

त्रिपुरा विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग की स्थापना 10वीं योजना के अंर्तगत सन् 2006 ई. में हुई। वर्तमान में हिंदी विभाग द्वारा पी–एच.डी., स्नातकोत्तर, समेकित स्नातकोत्तर (हिंदी) तथा अनुवाद में स्नातकोत्तर डिप्लोमा आदि पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। हिंदी विभाग का उद्देश्य है – हिंदी भाषा और साहित्य का संवर्धन और विकास करना तथा ज्ञान की सुसंगत शाखाओं में शिक्षण व अनुसंधान की सुविधाएँ प्रदान करना। हिंदी को भाषाई संप्रीति का माध्यम बनाना। हिंदी के साथ अन्य भारतीय भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देना। हिंदी सेवी संस्थानों व सामाजिक–सांस्कृतिक संगठनों के साथ शिक्षण–प्रशिक्षण और अनुसंधान के क्षेत्र में रचनात्मक प्रयत्न करना। अनुसंधान को नवाचारी बनाने के लिए तकनीकी माध्यमों को अध्ययन–अध्यापन में शामिल करना। हिंदी को वैश्विक विस्तार देने हेतु लोक साहित्य और भारतीय चिंतन परंपरा को बहुआयामी स्वरूप प्रदान करना। हिंदी के फलक को विस्तारित करने हेतु अनुवाद और कार्यालयी हिंदी के नूतन स्वरूप पर होने वाले चिंतन–मनन को आत्मसात करना और बढ़ावा देना।

संगोष्ठी का उद्देश्य:

यह सर्वविदित है कि हिंदी विश्व की सर्वाधिक लोकप्रिय भाषाओं में से एक है। भारतीय इतिहास में पहली बार स्वाधीनता के पश्चात् भारतीय संविधान सभा द्वारा जनभाषा हिंदी को 14 सितंबर, 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया। भारतीय संविधान में राजभाषा के सम्बन्ध में भाग–5 (अनु. 120), भाग–6 (अनु. 210) और भाग–17 (अनु. 343 से 351) में सविस्तार उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद–343 में स्पष्ट कहा गया है कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। राजभाषा अर्थात् राजकाज की भाषा, शासकीय प्रयोजनों की भाषा, जनता और सरकार की भाषा। इसके प्रचार–प्रसार और कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार समय–समय पर नीतिगत आदेश जारी करती है, साथ ही इसके कार्यान्वयन की समीक्षा भी करती है।

वस्तुत: राजभाषा कार्यान्वयन द्विभाषिक (अंग्रेजी–हिंदी) पद्धति पर कार्यान्वित होता है। राजभाषा अधिनियम–1963 की धारा–3(3) के अंतर्गत निर्गत होने वाले सभी दस्तावेज द्विभाषी (अंग्रेजी–हिंदी) जारी होंगे। राजभाषा नियम–1976 के नियम–3 के तहत राज्यों आदि और केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के साथ पत्राचार का सम्बन्ध हो, नियम–4 के तहत केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्राचार हो, नियम–11 के तहत सभी मैनुअल, संहिताएँ, प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, लेखन सामग्री आदि का सम्बन्ध हो, सभी द्विभाषा प्रक्रिया पर निर्भर है। कहने का तात्पर्य यह है कि उक्त के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालयी भाषा व्यवहार हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में संपन्न होंगे। कहना न होगा कि इसके लिए अनुवाद सेतु का कार्य करता है। यही कारण है कि कुछ लोग राजभाषा को अनुवाद की भाषा भी कहते हैं। हिंदीतर प्रदेशों में यह बात सही हो सकती है जबकि हिंदी भाषी प्रदेशों में कार्यालय का मूल कामकाज हिंदी में ही होता है। गौरतलब है कि मूल रूप में जो मसौदा या टिप्पण जिस भी भाषा में बनता है, वह हमेशा सरल, सुबोध और अभिव्यक्ति को स्पष्ट करने वाला होता है।

उक्त विषय का मूल उद्देश्य है कि राजभाषा का कार्यान्वयन मौलिक रूप से हिंदी में हो एवं हिंदी को अनुदित भाषा के रूप में प्रयोग न करके मूल भाषा के रूप में प्रयोग किया जाये। इसके लिए वर्तमान में राजभाषा कार्यान्वयन के कार्यों में कैसे अधिकतम हिंदी का प्रयोग हो और कार्यान्वयन की वर्तमान चुनौतियों का सरल समाधान निकाला जा सके इस पर गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। चाहे सरकारी कर्मी हों, सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यालयों में कार्यरत कर्मी हों अथवा निजी क्षेत्र के कार्यालयों में कार्यरत कर्मी हों, उन सब में हिंदी के कार्यसाधक ज्ञान बढ़ाने और मूल रूप से हिंदी में काम करने के लिए उन्हें प्रेरित करना उक्त संगोष्ठी का उद्देश्य है। इसके साथ ही वर्तमान में आधुनिक तकनीक के वरदान के रूप में हमारे सामने उपलब्ध कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट और कृत्रिम मेधा आदि संसाधनों का कैसे अधिकतम प्रयोग करके अतिरिक्त श्रम किये बिना राजभाषा हिंदी कार्यान्वयन का काम द्रुत गति से किया जा सकता है। इन सब तथ्यों को सामने लाना आवश्यक है। यह बात सही है कि पूर्वोत्तर जैसे हिंदीतर प्रदेशों में यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस संगोष्ठी में विद्वानों के महत्वपूर्ण सुझावों पर अमल कर इस कार्य को आगे बढ़ाया जा सकता है।

इसी को ध्यान में रखकर त्रिपुरा विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग 'राजभाषा हिंदी कार्यान्वयन (संदर्भ पूर्वोत्तर भारत)' विषय पर आगामी 28 फरवरी, 2024 को एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन करने जा रहा है। प्रस्तुत संगोष्ठी के माध्यम से पूर्वोत्तर भारत में राजभाषा हिंदी की स्थिति और उसके कार्यान्वयन का सूक्ष्म विवेचन एक ही मंच पर विभिन्न दृष्टियों से करवाना एक महत्वपूर्ण कार्य होगा। विषय की व्यापकता को देखते हुए इसे निम्नलिखित उप–विषयों में विभाजित किया गया है :

1. राष्ट्रभाषा और राजभाषा
2. राजभाषा हिंदी और भारतीय शासन–प्रशासन